

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil Misc. Appeal No. 4189/2017

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुनील जैन।

:: आदेश ::

22.08.2017

नोटिस जारी हो।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

अभिलेख तलब हो।

अभिलेख तलबी का पत्र ईमेल/फैक्स से जारी हो।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि नोटिस तामील नहीं होने पर पत्रावली इस न्यायालय में चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे तथा नोटिस तामील हो जाने की स्थिति में पत्रावली को सम्यक अनुक्रम (Due Course) में सूचीबद्ध करे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—